न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 470/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

रिमपल लड्ढा पत्नी श्री दीपक लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीया

बनाम्

1. चिंकीबाला पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मदनलाल पुत्र श्री करणीदान जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गजेन्द्र लड्ढा पुत्र श्री कृष्ण कुमार लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.)
4. प्रदीप कुमार पुत्र श्री जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. लालचन्द पुत्र श्री जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 27.08.2024

वादीया रिमपल लड्ढा ने प्रतिवादीगण चिंकीबाला वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि तहसील संगरिया के चक 19 एम.जे.डी. के विवादित खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में वादी के नाम से 120151/3733 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 721/3733 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 721/3733 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 120151/3733 हिस्सा की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का बंटवारा एवं कब्जाकश्त बाबत कोई विवाद नही है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा से प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) वादीया रिमपल लड्ढा पत्नी श्री दीपक लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) एवं प्रतिवादी सं. 3 गजेन्द्र लड्ढा पुत्र कृष्ण कुमार लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण चक 19 एम.जे.डी. खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 14:49:
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

108/184 59 11,12,13/0.253 है.प्र., 16/0.089 है.,
17ता22/0.253 है.प्र.
कुल 2.366 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 चिंकी बाला पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.), मदनलाल पुत्र श्री करणीदान जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 19 एम.जे.डी. खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
108/184 59 6/1/0.013 है., 7ता10/0.253 है.प्र., 14/0.253 है.,
15/0.089 है. कुल 1.367 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीया के द्वारा तहसील संगरिया के चक 19 एम.जे.डी. के विवादित खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादीया का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 सांझा खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीया ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 19 एम.जे.डी. के विवादित खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में वादी के नाम से 120151/3733 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 721/3733 प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 721/3733 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 120151/3733 हिस्सा की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी 1 ता 6 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 सांझा खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लगातार --3

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 14:49:49
Reason: SelfAttested

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादीया रिमपल लड्ढा पत्नी श्री दीपक लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) एवं प्रतिवादी सं. 3 गजेन्द्र लड्ढा पुत्र श्री कृष्ण कुमार लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 19 एम.जे.डी. खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
108/184	59	11,12,13/0.253 है.प्र., 16/0.089 है., 17ता22/0.253 है.प्र. कुल 2.366 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 चिंकी बाला पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.), मदनलाल पुत्र श्री करणीदान जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 19 एम.जे.डी. खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
108/184	59	6/1/0.013 है., 7ता10/0.253 है.प्र., 14/0.253 है., 15/0.089 है. कुल 1.367 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाश्त के अभाव में प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.08.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.09 14:49:49 I
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 470/2024

रिमपल लड्ढा पत्नी श्री दीपक लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीया

बनाम्

चिंकीबाला पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

मदनलाल पुत्र श्री करणीदान जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)

गजेन्द्र लड्ढा पुत्र श्री कृष्ण कुमार लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.)

प्रदीप कुमार पुत्र श्री जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़(राज.)

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़(राज.)

लालचन्द पुत्र श्री जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 27.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

वादीया रिमपल लड्ढा पत्नी श्री दीपक लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.) एवं प्रतिवादी सं. 3 गजेन्द्र लड्ढा पुत्र श्री कृष्ण कुमार लड्ढा जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 19 एम.जे.डी. खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
108/184	59	11,12,13/0.253 है.प्र., 16/0.089 है., 17ता22/0.253 है.प्र. कुल 2.366 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 व 2 चिंकी बाला पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.), मदनलाल पुत्र श्री करणीदान जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 19 एम.जे.डी. खाता सं. 26/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
108/184	59	6/1/0.013 है., 7ता10/0.253 है.प्र., 14/0.253 है., 15/0.089 है. कुल 1.367 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाश्त के अभाव में प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो संबंधित नियम मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X....निल ....X.... निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 27.08.2024 को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena

Date: 2024.09.09 14:49:49

Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया